# भारतीय लोक संस्कृति : समकालीन परिवर्तन

**अमित कुमार सिंह**
असि. प्रो. समाजशास्त्र
गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट

**सारांश –**

भले ही लोक-संस्कृति मानव समाज की संस्कृति है पर यह अक्सर यह सभ्यता से दूर मानव के प्रारम्भिक जीवन, व्यवहारों और क्रियाओं का बोध कराती है। यह सहज, सीधी एवं प्राकृतिक धारा के सदृश, बनावटों एवं साज-सज्जा से दूर रहने वाली संस्कृति का परिचायक है। इस संस्कृति में ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक देवी-देवता ऐसे है जिनके नाम विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। पर उनका स्वरूप तथा विश्वास सभी मानने वालों के लिए एक सा दिखाई पड़ता है। लोक संस्कृति के अन्तर्गत आने वाले लोक साहित्य, लोक गीत, लोक वाद्य , लोक मिथक , नेरेटिव ,कविताएँ, मुहावरे, कहावतें, विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों में एक दूसरे से कुछ भिन्न है लेकिन उनका कथानक लगभग समान होता है। जो लोक-संस्कृति में वृहत परम्परा की प्रवृत्ति को दर्शाया करती है। लोक संस्कृति चरित्र निर्माण का कार्य सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक दबाव द्वारा करती है। साथ ही यह कार्य उपदेशों ,प्रेरक प्रसंगो,कहानियों ,मिथकों के माध्यम से बुजुर्गों और वृद्धजनों द्वारा किया जाता है। लोक-संस्कृति में लोक कला का महत्वपूर्ण स्थान है, पर वर्तमान समय में चलचित्रों, टेलीविजन तथा रेडियों के प्रभाव से लोक कला परम्परागत लोक जीवन से भिन्न हो रही है। अब लोक कला को एक सामूहिक विशेषता की जगह व्यक्तिगत कुशलता माना जाने लगा है। लोक-संस्कृति की परिवर्तनशीलता से बहुत से व्यक्तियों की यह धारणा प्रबल होने लगी है कि अब यह उनके जीवन के लिये अधिक उपयोगी नही रह गयी है। लेकिन परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रिया को देखने से भी अभी ये नही लगता है कि लोक-संस्कृति को भव विशुद्व रूप से अतीत की संस्कृति है।

**मुख्य शब्द** – लोक साहित्य, लोक कला, लोक रंग ,लोक मिथक, नेरेटिव, परिवर्तन

लोक संस्कृति शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य ही नही बल्कि नगरों और गाँवों में फैली हुई वह समूची जनता है, जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पुस्तकें नही है। लोक संस्कृति का अर्थ ऐसी संस्कृति के लिये ध्वनित होता है, जो शिष्ट सभ्य वर्ग की संस्कृति से भिन्न है। यह असभ्य, अशिक्षित, ग्राम्य आदि प्रकार के जन समूहों की संस्कृति का बोध कराता है। लोक सस्कृति का अर्थ ऐसी सहज, सीधी एवं प्राकृतिक धारा के सदृश, बनावटों एवं साज-सज्जा से दूर रहने वाली संस्कृति का परिचायक है जो उस मानव समाज की संस्कृति है जो सभ्यता से दूर मानव के प्रारम्भिक जीवन और क्रियाओं का बोध कराती है। लोक-संस्कृति से सम्बन्धित कला, गीत, संगीत, नृत्य, नाटक आदि का उपयोग नगरीय संस्कृति की भांति व्यावसायिक आधार पर नही किया जाता, वरन इसका उपयोग सभी लोगों के लिये निःशुल्क उपलब्ध होता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना एवं ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। लोक-संस्कृति के दर्शन हमें लघु समुदायों एवं कृषक समाजों में होते है। ये ही उनके गढ़ एवं कार्य क्षेत्र हैं न कि नगरीय समाज । लोक-संस्कृति का तात्पर्य परम्पराओं पर आधारित जीवन एक सामान्य ढंग से है। इसका तात्पर्य है कि लोक-संस्कृति के अन्तर्गत सभी धार्मिक विश्वासो, धार्मिक आचरण, कर्मकाण्डों की पूर्ति ज्ञान व्यवहार के तरीके लोक कला गाथाएँ तथा चिन्तन किसी न किसी धर्म ग्रन्थ अथवा स्थानीय परम्पराओं से प्रभावित होते है। ये विशेषताएं मौखिक परम्पराओं के रूप में एक पीढी से दूसरी को पीढी हस्तान्तरित होती है।

लोक संस्कृति का क्षेत्र अत्यंत अधिक एवं वृहत है, इसके अंतर्गत सामान्यतः ग्रामीण और लोक समुदायों के विश्वास, रीति रिवाज, खानपान, संस्कार, प्रथाएं, रहन-सहन एवं आचार-विचार, तीज-त्योहार, मिथक, लोक कथाएँ, लोक साहित्य आते हैं। प्रकृति की चेतन तथा जड़ जगत के विषय में तथा उनके साथ मनुष्यों के संबंधों के विषय में, जादू टोना, सम्मोहन, वशीकरण, ताबीज, भाग्य, शकुन व अपशकुन, रोग तथा मृत्यु के संबंध में, अनेक अन्य परंपराएं इसके भीतर समाविष्ट होती हैं। इसके साथ ही विवाह, उत्तराधिकार, बाल तथा पूर्ण जीवन के रीति-रिवाज, अनुष्ठान ,त्योहार, युद्ध, आखेट, पशुपालन, मत्स्य, व्यवसाय आदि विषयों के विधि विधान इसके अंतर्गत आते हैं। संक्षेप में लोक की मानसिक संपन्नता के अंतर्गत जो भी वस्तुएँ हो सकती हैं वह सभी लोक संस्कृति की क्षेत्र में आती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि लोक संस्कृति का विस्तार क्षेत्र अत्यंत व्यापक और एवं विस्तृत है, यह मानव जीवन के समस्त अंगों से संबंधित होने के साथ ही लोक साहित्य को भी आत्मसात किए हुए हैं ।लोक गीत देश की लोक संस्कृति के अक्षय स्रोत है। लोक गीतों की सहायता से ग्रामीण जीवन और संस्कृति को आसानी से समझा जा सकता है। लोक गीत लघु समुदाओं, कृषक एवं ग्रामीण सामाजिक जीवन की तस्वीर प्रस्तुत करते है। साथ ही लोक-संस्कृति में लोकोक्तियां या कहावतों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मानवीय ज्ञान के घनीभूत स्रोत है जिनसे बुद्वि और अनुभव की किरणों से फुटने वाली ज्योति मिलती है। और लोक-संस्कृति में कथाओं को महत्वपूर्ण स्थान होता है, कथाओं की सहायता से मिथकों का ज्ञान होता है। तत्कालीन समाज और जीवन का ज्ञान, मानव सभ्यता के विकास क्रम का ज्ञान, धार्मिक परम्पराओं की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान, सृष्टि की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान तथा आश्चर्यजनक सामाजिक घटनाओं तथा उनके हल का ज्ञान कथाओं और मिथकों द्वारा होता है।

प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही इस देश में संस्कृति की दो पृथक धाराएं प्रवाहित हो रही थी जिनमें एक शिष्ट संस्कृति थी और दूसरी लोक संस्कृति। शिष्ट संस्कृति से आशय उस अभिजात वर्ग की संस्कृति से है जो बौद्धिक विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। यह वर्ग अपनी प्रतिभा के कारण समाज का अग्रणी तथा पथ प्रदर्शक था, तथा जिसकी संस्कृति का स्रोत वेद और शास्त्र थे। लोक संस्कृति से अभिप्राय जनसाधारण की उस संस्कृति से है जो अपनी प्रेरणा लोक से प्राप्त करती है। लोक संस्कृति शिष्ट संस्कृति की सहायक होती है। किसी देश के धार्मिक विश्वास व अनुष्ठानों तथा क्रियाकलापों की पूर्व परीक्षा के लिए दोनों संस्कृतियों में परस्पर सहयोग अपेक्षित रहता है।

**लोक संस्कृति की व्यापकता -**

लोक-संस्कृति से सम्बद्व एक परम्परागत धारणा यह थी कि यह संस्कृति स्थानीय परम्पराओं से निर्मित होती है। इसलिये इसमें परिवर्तन की सम्भावना बहुत कम है। प्रत्येक गाँव में कुछ देवी देवता ऐसे पाये जाते है जो विशेष रूप से

उसी ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित होते है। परन्तु यदि तुलनात्मक आधार पर उनका विश्लेषण किया जाये तो सम्पूर्ण भारत में ग्रामीणों के विश्वासों, कार्य, प्रणालियों तथा अनुष्ठानों में एक समानता देखने को मिलती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाये जाने वाले अनेक देवी-देवता ऐसे है जिनके नाम विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। लेकिन उनका स्वरूप तथा उनके प्रति ग्रामीणों के विश्वास सभी एक से है। उदाहरण के लिये सभी गाँवों में खेतो के संरक्षक देवता की पूजा की जाती है। यद्यपि उनके नामों में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। उसी प्रकार लोक साहित्य के अन्तर्गत आने वाले लोक गीत, कविताएँ, मुहावरे, कहावतें विभिन्न भाषा, भाषी क्षेत्रों में एक दूसरे से कुछ भिन्न है लेकिन उनका कथानक लगभग समान होता है। यह स्थिति लोक-संस्कृति में वृहत परम्परा की प्रवृत्ति को स्पष्ट करती है।

**लोक- संस्कृति की विशेषताएँ-**

लोक संस्कृति का स्वाभाविक विकास होने के कारण की इसकी संरचना का स्वरूप अलिखित होता है इसका कारण इसकी विषय सामग्री ग्रामीण जीवन और परिस्थितियों से सम्बन्धित होती है। साथ ही यह सामाजिक विरासत की भांति एक पीढी से दूसरी पीढी को हस्तान्तरित होती रहती है। लोक संस्कृति मौखिक सांस्कृतिक परम्परा है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से पुस्तकों पर आधारित नही है , इससे संबन्धित तत्व, धर्म, तत्व-मीमांसा, साहित्य और संगीत आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नही पड़ती।

मानव जीवन के व्यवहारिक स्वरूप को लोक संस्कृति के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। लोक-संस्कृति में व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक जीवन और सामूहिक क्रियाओं का महत्व प्रदान किया जाता है। लोक संस्कृति परिवार प्रधान होती है इसमें परिवारात्मकता पायी जाती है इसमें परिवार की झांकी को स्पष्टतः देखा जा सकता है। लोक संस्कृति में जीवन और संस्कृति एक गाड़ी के दो पहिये की भांति होतें है। न जीवन को संस्कृति से अलग किया जा सकता है और न ही संस्कृति को जीवन अभाव में जाना जा सकता है। लोक संस्कृति में कला का स्वरूप भी सामूहिक होने के साथ भिन्न -भिन्न तत्व समाहित रहते है। जो कला के बजाय सामूहिक जीवन और मनोरंजन के लिये होती है। इसमें कला स्वरूप व्यापारिक नही होता। लोक संस्कृति की प्रौद्योगिकी की प्रकृति अत्यन्त सरल एवं परम्परात्मक होने के साथ तकनीकी में कोई खास परिवर्तन नही होता। सरलता के कारण इसमें प्रौद्योगिकी का आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। समूह-नृत्य में भाग लेने वाले स्वयं ही गीत का रचना करते है, स्वयं ही उसे गाते है और साथ ही नृत्य भी करते है। कलाकार और दर्शक गण वे स्वयं ही होते है। लोक-संस्कृति में ज्ञान और कला के क्षेत्र में व्यवसायीकरण की सम्भावना बहुत कम ही रही है।

लोक-संस्कृति से सम्बन्धित कला, गीत, संगीत, नृत्य, नाटक आदि का उपयोग नगरीय संस्कृति की भांति व्यावसायिक आधार पर नही किया जाता, वरन इसका उपयोग सभी लोगों के लिये निःशुल्क उपलब्ध होता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना एवं ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। लोक-संस्कृति के दर्शन हमें लघु समुदायों एवं कृषक समाजों में होते है। ये ही उनके गढ़ एवं कार्य क्षेत्र है न कि नगरीय समाज। लोक-संस्कृति के अन्तर्गत वे सभी देवी-देवता, धार्मिक संगीत, कहावतें, मुहावरे, लोक गाथाएं ,नाटक आदि आते है। जिनका स्रोत प्रत्यक्ष रूप में कोई धर्म-ग्रन्थ या कोई अन्य पुस्तक नही होते, यह मौखिक रूप से ही पीढी दर पीढी हस्तान्तरित होते रहते है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और कई ऐसे त्यौहार मनाये जाते है जिनके फैलाव का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है तथा जिनका उद्गम कोई न कोई अखिल भारतीय धर्म ग्रन्थ है।

**लोक संस्कृति का महत्व-**

लोक-संस्कृति मानव जीवन में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है। लोक-संस्कृति जहाँ तक एक ओर हमें अपनी विरासत से अवगत कराती है वही दूसरी ओर हमारे भविष्य का भी निर्धारण कराती है। लोक-संस्कृति पर हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य अन्त सम्बन्धित है। लोक-संस्कृति हमारी सभ्यता का ऐसा स्रोत है जो कभी समाप्त नही हो सकता है। लोक संस्कृति किसी भी देश की सभ्यता का दर्पण है अर्थात किसी देश की निवासियों की लोक संस्कृति सभी भली-भांति जानी जा सकती है जब उनकी सभ्यता का पूरा ज्ञान हो। सभ्यता के माध्यम से ही लोक संस्कृति का पूर्ण ज्ञान हो सकता। लोक संस्कृति का कार्य समाज में प्रचलित सभ्यता तथा विभिन्न विधि विधान एवं संस्थाओं को उचित अर्थ और स्वरूप प्रदान करना है। समाज में रहने वाले मनुष्य अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं। किसी देश के मिथक उस देश की सांस्कृतिक परंपरा को बल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जादू-टोना, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक संरचना के रूप में व्यावहारिके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। लोक संस्कृति शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण का कार्य भी करती है, साथ ही यह सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक दबाव को भी डालने का प्रयास करती है, यदि कोई व्यक्ति समाज के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे अनेक उपदेश, कहानी सुना कर सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाता है।

**लोक संस्कृति में परिवर्तन-**

वर्तमान युग में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, पाश्चात्य शिक्षा तथा वैज्ञानिक प्रगति के प्रभाव से ग्रामीण जीवन के सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। कुछ समय पूर्व तक यह धारणा थी कि लोक-संस्कृति की प्रकृति रूढिवादी और परिवर्तन विरोधी होती है, इसलिए इस संस्कृति में साधारणतयः कोई परिवर्तन उत्पन्न नही हो सकता। पर वर्तमान समय में ऐसी धारणाएँ गलत प्रमाणित होने लगी है। क्योकिं गाँवों की आर्थिक तथा सामाजिक संरचना बदलने के साथ ही लोगो की मनोवृत्तियों तथा सम्पर्क के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। इसका स्वाभाविक परिणाम लोक-संस्कृति में होने वाले परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। आज अभिजात वर्ग की तर्कशील और परिवर्तनशील संस्कृति ने लोक-संस्कृति को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षो से लोक-संस्कृति तथा अभिजात संस्कृति के बीच अंतःक्रिया चलती रही है। और इन दोनों ने ही एक दूसरे से प्रभावित हुई और एक दूसरे को प्रभावित किया है। इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप लोक-संस्कृति ने अभिजात संस्कृति के अनेक सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण किया है। और कभी कभी इनको अपने में आत्मसात किया है। इसी का परिणाम है कि संगीत के क्षेत्र में आज लोक-संस्कृति से सम्बद्व अनेक रागों को परिष्कृत करके अभिजात वर्ग को संस्कृति से सम्बन्धित रागों के रूप में परिवर्तित कर लिया गया है। नृत्य, कला और शिष्टाचार के क्षेत्र में भी लोक-संस्कृति निरन्तर अभिजात वर्ग की संस्कृति से प्रभावित हो रही है। अत्यार्धिक प्राचीन काल से ही लोक-संस्कृति के अन्तर्गत लोक कला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है वर्तमान समय में चलचित्रों टेलीविजन तथा रेडियों के प्रभाव से लोक कला परम्परागत लोक जीवन से भिन्न हो रही है। आज लोक कला को एक सामूहिक विशेषता के रूप में न देखकर व्यक्तिगत कुशलता के रूप में

देखा जाने लगा है । इसी का परिणाम है कि लोक कला व्यक्तिगत भावनाओं से अधिक सम्बद्ध है तथा उसके लोक जीवन का प्रभाव कम होता जा रहा है । इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी निर्विवाद है कि आज लोक-संस्कृति के अन्तर्गत सहित्य, संगीत तथा मनोरंजन के स्वरूप में व्यवसायिकता के गुण उत्पन्न हो गये है । कला और संगीत का उद्देश्य प्राथमिक रूप से धनोपार्जन करना है जिसके लिये लोक कलाकार अपने अपने संगठन बनाकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते है । और लोक गीतों तथा लोक नृत्यों का प्रदर्शन करते है ।अब लोक कलाकारों को फिल्मों और टेलीविज़न की दुनिया में मंच मिलने लगा है जिससे इनकी लोक काला अब स्थानीयता से निकल कर सार्वभौमिक हो रही है ।

लोक-संस्कृति में होने वाले परिवर्तन इस दृष्टिकोण से चिंताजनक है कि वर्तमान युग में इसके अन्तर्गत जन सामान्य का सहभाग निरन्तर कम होता जा रहा है। आधुनिकीकरण तथा नगरीकरण के प्रभाव से लोक जीवन नगरीय संस्कृति को अपना आदर्श मानने लगा है । ग्रामों में बहुत से व्यक्तियों की यह धारणा प्रबल होने लगी है कि उनकी लोक-संस्कृति इस सीमा तक परिवर्तित हो गयी है । कि अब इसे अनेक जीवन के लिये अधिक उपयोगी नही कहा जा सकता । यह सम्भव है कि वर्तमान परिवर्तन बदलती हुई रूचियों और मनोवृत्तियों के अनुरूप हो लेकिन यह भी सच है कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप लोक जीवन में सांस्कृतिक विघटन की एक नई समस्या उत्पन्न हो गई । इसके पश्चात् भी यह ध्यान रखना होगा कि लोक-संस्कृति में उत्पन्न परिवर्तन अभी इतने सीमित है कि इनके आधार पर ग्रामीण समुदाय लोक जीवन को पूर्णतया विघटित नही कहा जा सकता। यद्यपि इन परिवर्तनों में तीव्रता आने पर लोक जीवन में विघटन के तत्व अधिक प्रभाव पूर्ण बन सकते है । इसी आधार पर अक्सर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि कुछ समय पूर्व लोक-संस्कृति अतीत की संस्कृति थी लेकिन परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रिया को देखने से यह स्पष्ट होता है कि लोक-संस्कृति को भव विशुद्व रूप से अतीत की संस्कृति नही कहा जा सकता ।

**निष्कर्ष-**

लोक- संस्कृति वह महत्वपूर्ण पर्यावरण है जो किसी भी लघु समुदाय तथा कृषक समाज की जीवन विधि को सुरक्षित बनाये रखता है । इस दृष्टिकोण से लघु समुदाय, कृषक समाज तथा लोक संस्कृति को पारस्परिक निर्भरता के दृष्टिकोण से समझना ही उचित होगा । इनमें से किसी भी एक में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन दूसरे को निश्चित रूप से प्रभावित करता है । पर इन परिवर्तनों के बावजूद भी लोक –संस्कृति बाजरवाद की नवीन प्रवृतियों को ग्रहण करते हुई दिखाई पड़ रही है । शायद यह समय की मांग या आजीविका के महगें होते साधनों के साथ व्यावसायिकता का भूमंडलीकरण होना है । इन परिवर्तनों के लिए एक कारक प्रभावी या सम्पूर्ण नही है । पर यह ध्यान रखने की महती आवश्यकता है कि बाजारीकरण के अंधाधुन इस आधुनिक दौर में लोक संस्कृति का मूल स्वरूप ही न नष्ट हो जाए ।

**********

**संदर्भ सूची-**

1 पाण्डे गोविंद चन्द्र, भारतीय समाज तात्विक और ऐतिहासिक विवेचन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली,1993
2-दुबे श्यामचरण,भारतीय समाज, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2003
4.उपाध्याय कृष्णदेव, लोक संस्कृति कि रूप रेखा, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
5. गुप्ता एम. एल. और शर्मा डी. डी. , भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र,साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2012

# ग्रामीण विकास: गांधी और अम्बेडकर के दृष्टिकोण

**मिलिंद घाटे**
हिसलोप कॉलेज नागपुर
मो. 996038175

**परिचय:-**सामान्यत: 'ग्रामीण विकास' विकास योजनाकारों और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। खेती योग्य भूमि की कमी और लगातार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, भारतीय गाँव कुछ ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो केवल भारत में ही मौजूद हैं। भारतीय गाँवों में समस्याएँ दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। काफी समय तक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने के बाद भी समस्याएँ जस की तस बनी हुई हैं। कुछ पहलुओं में मामूली सुधार को छोड़कर, समग्र रूप से बुनियादी बदलाव लाने वाला विकास अभी तक नहीं हुआ है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे आदि की पर्याप्त पहुंच नहीं है।

'ग्रामीण विकास' की अवधारणा भारतीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 70% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकसित देश बनाने की दिशा में काम करने के लिए ग्रामीण भारत का विकास देश की पहली प्राथमिकता है। कई अन्य बुद्धिजीवियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर अपने विचार रखे हैं। अगर हम ऐतिहासिक साहित्य का अध्ययन करें तो पाएंगे कि भारत में विकास और ग्रामीण विकास कैसे हो, इस पर कई विद्वानों ने व्यापक चर्चा की है। हालाँकि, ग्रामीण विकास की तीन सबसे अधिक और लंबे समय से विवादित विचारधाराएँ हैं जिन्हें **अम्बेडकर की विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और नेहरूवादी विचारधारा** के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण विकास की विचारधारा. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के बारे में उन्होंने जो अपने विचार पेश किए हैं, उनके आधार पर ग्रामीण समाज के बारे में उनकी अपनी समृद्ध समझ है। यहां इस पेपर में अंबेडकर और गांधी के विचारों और दृष्टिकोणों का तुलनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, जिन्हें ग्रामीण विकास की विचारधाराओं के रूप में जाना जाता है। पेपर में ग्रामीण विकास के बारे में गाँधी और अम्बेडकर के दृष्टिकोणों की बहस बताई गई है।

भारत के अलावा, ग्रामीण विकास अवधारणा का उपयोग पूरे विश्व में ग्रामीण पुनर्निर्माण के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को नामित करने में भी किया गया है। इसलिए, विश्व बैंक (1991) ने कहा कि विकास की मुख्य चुनौती जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। विशेष रूप से दुनिया के सबसे गरीब देशों में, 'जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आम तौर पर उच्च आय की आवश्यकता होती है लेकिन इसमें बहुत कुछ शामिल होता है; इसमें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का उच्च मानक, कम गरीबी, स्वच्छ वातावरण, अवसर की अधिक समानता, अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समृद्ध सांस्कृतिक जीवन शामिल है' (टोडारो और स्मिथ, 2003: 50)। इसलिए, ग्रामीण विकास को एक ऐसी अवधारणा के रूप में समझना जो ग्रामीण पुनर्निर्माण के पूरे सेट को दर्शाता है, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। आम तौर पर, मुख्यधारा के विकास विमर्श में, आर्थिक विकास, कृषि विकास, ग्रामीण विकास और विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को गरीब लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए स्वतंत्रता के बाद के समय में, भारत ग्रामीण विकास पर फोकस किया है.